

1. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
2. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, उ0प्र0।
3. समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उ0प्र0।

विषय:- जी0एस0टी0 काउंसिल की 9वीं बैठक के कार्यवृत्त के एजेंडा बिन्दु संख्या-3(28)(viii) द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में विशेष सचिव व सदस्य, केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-CBEC/20/43/01/ 2017-GST(Pt.) दिनांक 05.10.2018 द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण विषयक।

केन्द्रीय प्राधिकार की फर्मों में सूचना आधारित (Intelligence based) कार्यवाही राज्य प्राधिकार के अधिकारियों द्वारा व राज्य प्राधिकार की फर्मों में सूचना आधारित (Intelligence based) कार्यवाही केन्द्रीय प्राधिकार के अधिकारियों द्वारा किये जाने की अस्पष्टता के बिन्दु पर दिनांक 16.01.2017 को आयोजित जी0एस0टी0 काउंसिल की 9वीं बैठक में विचारोपरान्त इस कार्यवृत्त के एजेंडा बिन्दु संख्या-3(28) (viii) द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है:-

“Both the Central and the State tax administrations shall have the power to take intelligence-based enforcement action in respect of the entire value chain.”

जी0एस0टी0 काउंसिल के उक्त निर्णय के क्रम में विशेष सचिव व सदस्य, केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-CBEC/20/43/01/2017-GST(Pt.) दिनांक 05.10.2018 के बिन्दु संख्या-03 व 06 द्वारा निम्नलिखित निर्णय से केन्द्रीय प्राधिकार के अधिकारियों को सूचित किया गया है:-

(3) It is accordingly clarified that the officers of both Central tax and State tax are authorized to initiate intelligence based enforcement action on the entire taxpayer's base irrespective of the administrative assignment of the taxpayer to any authority. The authority which initiates such action is empowered to complete the entire process of investigation, issuance of SCN, adjudication, recovery, filing of appeal etc. arising out of such action.

(6) It is also informed that GSTN is already making changes in the IT system in this regard.

जी0एस0टी0 काउंसिल के उक्त निर्णय व विशेष सचिव व सदस्य, केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत पूर्वोक्त क्लेरीफिकेशन के क्रम में यह अपेक्षित है कि इस विभाग के अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय प्राधिकार की जिन फर्मों के विरुद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी हो, तो केन्द्रीय प्राधिकार की ऐसी फर्मों के सम्बन्ध में उक्त पत्र के बिन्दु संख्या-3 में उल्लिखित कार्यवाही इस विभाग के अधिकारियों द्वारा ही पूर्ण की जानी है। पूर्व में केन्द्रीय प्राधिकार की फर्मों के विरुद्ध वि0अनु0शा0 इकाइयों द्वारा की गयी कार्यवाही में रिपोर्ट केन्द्रीय प्राधिकार के अधिकारियों को प्रेषित की जाती रही है। इस तरह के काफी प्रकरण केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा उक्त पत्र का उल्लेख करते हुये राज्य के प्राधिकारियों को वापस किये जाते रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह सम्भावित है कि इस प्रकार के कई प्रकरण आपके जोन में बिना किसी कार्यवाही के लम्बित चल रहे हों। पूर्व में, इस विभाग के अधिकारियों द्वारा करापर्वचन की कई श्रृंखलाओं की जांचोपरान्त कई फर्मों केन्द्रीय प्राधिकार के अन्तर्गत पंजीकृत पायी गयी थीं, जिनके द्वारा भारी मात्रा में बोगस टैक्स इनवाइस जारी करते हुये राजस्व क्षति पहुंचाई गयी है। अतः राज्य के अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के ऐसे व्यापारियों व उनसे सप्लाई प्राप्त करने वाली अनुवर्ती क्रोताओं के विरुद्ध कार्यवाही पूर्ण करें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरणों में से, जिनमें केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ न की गयी हो, तो राज्य प्राधिकार के सम्बन्धित प्रापर आफ़ीसर, जी0एस0टी0 काउंसिल के उक्त निर्णय के परिपालन में विशेष सचिव व सदस्य, केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-CBEC/20/43/01/2017-GST(Pt.) दिनांक 05.10.2018 से प्रसारित क्लेरीफिकेशन के क्रम में अग्रतर विधिक कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जीएसटी पोर्टल पर केन्द्रीय प्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली पंजीकृत फर्मों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही किये जाने का Access राज्य के अधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मॉनिटरिंग करके कार्यवाही कराने का संयुक्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0) एवं ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर का होगा।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन करना/कराना सुनिश्चित करें।

(अमृता सोनी)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।



सत्यमेव जयते

**MAHENDER SINGH**  
Special Secretary & Member

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

(वित्त मंत्रालय/राजस्व विभाग)  
MINISTRY OF FINANCE / DEPARTMENT OF REVENUE  
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड  
CENTRAL BOARD OF EXCISE & CUSTOMS  
NORTH BLOCK, NEW DELHI-110001  
Tele : +91-11-23094828 Fax : +91-11-23092512

D.O. F.No. CBEC/20/43/01/2017-GST (Pt.)

Dated: 5<sup>th</sup> October, 2018

Dear *Colleague,*

It has been brought to the notice of the Board that there is ambiguity regarding initiation of enforcement action by the Central tax officers in case of taxpayer assigned to the State tax authority and vice versa.

2. In this regard, GST Council in its 9<sup>th</sup> meeting held on 16.01.2017 had discussed and made recommendations regarding administrative division of taxpayers and concomitant issues. The recommendation in relation to cross-empowerment of both tax authorities for enforcement of intelligence based action is recorded at para.28 of Agenda note no. 3 in the minutes of the meeting which reads as follows:-

*"viii. Both the Central and State tax administrations shall have the power to take intelligence-based enforcement action in respect of the entire value chain"*

3. It is accordingly clarified that the officers of both Central tax and State tax are authorized to initiate intelligence based enforcement action on the entire taxpayer's base irrespective of the administrative assignment of the taxpayer to any authority. The authority which initiates such action is empowered to complete the entire process of investigation, issuance of SCN, adjudication, recovery, filing of appeal etc. arising out of such action.

4. In other words, if an officer of the Central tax authority initiates intelligence based enforcement action against a taxpayer administratively assigned to State tax authority, the officers of Central tax authority would not transfer the said case to its State tax counterpart and would themselves take the case to its logical conclusions.

5. Similar position would remain in case of intelligence based enforcement action initiated by officers of State tax authorities against a taxpayer administratively assigned to the Central tax authority.

6. It is also informed that GSTN is already making changes in the IT system in this regard.

With *best wishes,*

Yours sincerely,

*Mahender Singh*  
(Mahender Singh)

To

All Principal Chief Commissioners/ Chief Commissioners of Central Tax/ Principal Directors General/  
Directors General